

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06 / 2018

प्रार्थी

गृह फाइनेन्स बैंक लिमिटेड
जरिये प्राधिकृत अधिकारी, 1 फ्लोर
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के
ऊपर, महावीर कालोनी के सामने खेड़
रोड़, बालोतरा

बनाम्

अप्रार्थीगण

1. कन्हैयालाल पुत्र चुनीलाल
निवासी पट्टा नं.38 मेगवालों
का वास, महिलावास तहसील
सिवाना
2. श्रीमती मंजुदेवी पत्नि कन्हैयालाल
निवासी पट्टा नं.38 मेगवालों का
वास महिलावास तहसील सिवाना
3. मांगीलाल पुत्र जेठाराम निवासी
वार्ड सं07 कुम्हारों का मोहल्ला,
महिलावास तहसील सिवाना
4. मदनसिंह पुत्र तेजसिंह राजपुरोहित
निवासी वार्ड सं.04 राजपुरोहितों का
वास, महिलावास तहसील सिवाना



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (The securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002)

उपरिथत:— श्री राघवेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 18.07.2018

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (The securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002) के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर कर, प्रार्थी की बहस को सुना गया।
2. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को प्रार्थी बैंक ने दिनांक 31.12.2012 को रुपये 1,40,000/ का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने उक्त ऋण के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की बहसियत जमानती जमानत दी थी। उक्त ऋण प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक के पक्ष में ऋणी द्वारा ऋण इकरारनामा आदि दस्तावेज अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा इस ऋण के लिये ब्रतौर अपने स्वामित्व की सम्पति पट्टा नम्बर 38 मिसल संख्या 41/09-10 मोहल्ला

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर



मेगवालों का वास महिलावास तहसील सिवाना जिला बाड़मेर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 4200 वर्ग फीट है, प्रार्थी बैंक के पास जरिये **Mortgage by deposit of Title deed** के बंधक रखा है, जो विलेखानुसार निम्न आस पड़ोस के मध्य स्थित है: उतर में रोड, दक्षिण में रोड, दक्षिण में फूसाराम पुत्र भीखाराम मेगवाल, पूर्व में जुंझाराम पुत्र बगदाराम मेगवाल व पश्चिम में रोड है। ऋण प्राप्त करने के पश्चात् ऋणी व जमानती ने ऋण इकरारनामा की शर्तों के अनुरूप ऋण खाते का संचालन नहीं किया है। ऋणी ने ऋण इकरारनामा की शर्तों की पालना में चूककर्ता होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी व जमानती के उक्त ऋण खाते को गैर निष्पादित आस्ति में वर्गीकृत कर समस्त देय ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस देकर बकाया राशि मय ब्याज हेतु नोटिस दिया गया। नोटिस दिये जाने के पश्चात् भी राशि जमा नहीं कराई गई है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा इस ऋण के लिये बतौर प्रतिभूति स्वरूप रहन रखी गयी अपने स्वामित्व की सम्पत्ति जो उपर वर्णित है, का कब्जा एवं इससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को भी प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

- हमने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को दिनांक 31.12.2012 को ऋण सुविधा के रूप के उपरोक्तानुसार ऋण दिया। उक्त ऋण के बदले इकरारनामा व उससे सम्बन्धित दस्तावेजात तैयार कर अपने हस्ताक्षर के प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये। अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया गया। इस पर बैंक ने खाते को दिनांक 28.02.2015 को एन.पी.ए घोषित किया व अप्रार्थीगण/ऋणी के ऋणी खाते में रुपये 2,56,316/- दिनांक 05.02.2018 तक ब्याज सहित बकाया होना बताया। ऋणी द्वारा इकरारनामा की शर्तों की पालना में चूककर्ता होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी व जमानती के उक्त ऋण खाते को गैर निष्पादित आस्ति में वर्गीकृत कर समस्त देय ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 13.05.2017 को बकाया राशि मय ब्याज हेतु नोटिस दिया गया। नोटिस चरपा पश्चात् भी अप्रार्थीगण ने बैंक को ऋण राशि का भुगतान नहीं किया। The securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

4. अतः उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गई उक्त वर्णित सम्पत्ति को अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, प्रार्थी बैंक को संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 18.07.2018 को सुनाया गया।



(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर